UPGK010055292026

<u>प्रभारी, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।</u>
जमानत प्रार्थनापत्र सं0-2453/ 2026

1. राम जनक यादव पुत्र महेश उम्र 80 वर्ष।
2. अर्चना यादव पत्नी बबलू उम्र 38 वर्ष निवसीगण ग्राम-घेवरपार, थाना गगहा, जनपद गोरखपुर।

.....**आवेदिकागण/अभियुक्तागण**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०-97/2025
धारा-191(2),125,115(2),352,351(3),324(4) बी०एन०एस०
व धारा- 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)va एस.सी./एस.टी.एक्ट
थाना- गगहा, जनपद-गोरखपुर।

<u>दिनांक- 17.07.2026</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण राम जनक यादव व अर्चना यादव द्वारा जमानत हेतु उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पैरोकार अरविन्द यादव का शपथपत्र संलग्न कर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है, न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा-15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादिनी मुकदमा/पीड़िता की तरफ से आरिफ खान, नितीश सिंह, अजीम अंसारी व दिनेश यादव का वकालत नामा 11ख पत्रावली पर उपलब्ध है, परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा सरोज देवी द्वारा थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वह घर पार नहीं थी, उसके गाव के प्रधान राजेश यादव पुत्र फौजदार यादव ने जबरन उसके बैनामाशुदा जमीन पर कुछ दबंगों को लेकर उसके द्वार पर लगा नीम और जामुन पार पेड़ कटवा कर उसकी जमीन में लगा पिलर तोड्डा दिए। उसके बाद उस पर इंटरलाकिंग करा रहे थे जब वह अपने गाव पर आई पूछने पर कहे चमरिया की जाति साली इतना तुम्हारा मन बड गया है कि हमको मना कर रही हो मैं ग्राम प्रधान हूं, तुम्हारा घर तोड़ कर भी रास्ता बनवा दूंगा। उसके बाद प्रधान के ललकारने पर गाव की अर्चना पत्नी बबलू यादव, वीर यादव पत्नी अज्ञात, ज्ञान यादव पुत्र हरदेव यादव ज्ञान यादव की पतोहू राम अवाध यादव पुत्र स्व महेश यादव सतेन्द्र पुत्र राम अवध यादव, राम जनक यादव पुत्र स्व महेश यादव, राजन यादव पत्नी अज्ञात रंजन यादव पुत्र बैरागी यादव, रविन्द्र यादव पुत्र रामबचन यादव, प्रमोद यादव पुत्र बेचन यादव रिंकू यादव की औरत और 5 से 6 लोग अज्ञात जिसका वह नाम नहीं जानती राजेश प्रधान के ललकारने पर उक्त लोग उसके घर पर चढ़ कर इट पत्थर चलाने लगे, जिससे उस समेत 10 लोगो को चोट आई। ये लोग भद्दी-भद्दी गाली गुप्ता देते हुए जान से मरने की धमकी दिए इतना ही नही प्रधान के कहने पर सारे लोग उसके घर में घुस गये और उसकी लड़की रागिनी का बाल पकड़ कर घसीटते हुए बहार लाये और लात घुसो से बुरी तरह पिट दिए। अतः उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र/शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, कोई जुर्म नहीं किये है, मात्र गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में संलिप्त किया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा मात्र विशेष जाति का होने

के नाते लोगो के बहकावे में आकर फर्जी मुकदमा कायम कराया गया है। सम्पूर्ण धाराये जमानतीय व मजिस्ट्रेट ट्रायल है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है। इस जमानत प्रार्थना-पत्र के अलावा कोई अन्य प्रार्थना-पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न दाखिल है न ही लम्बित है और न निस्तारित ही है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदकगण/अभियुक्तगण को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगे। अतः प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रपत्रों व केसडायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में से वादी पक्ष के साथ जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर उपहति कारित करने का अभियोग लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आहतों को आयी चोटें साधारण प्रकृति की होना दर्शित है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अंतरिम जमानत पर रिहा किये गये है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2026 को संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. and other [Netural Citation No. 2025: AHC:136034]** में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण राम जनक यादव व अर्चना यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा मु0 50,000/- रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होते रहेगे, विचारण में सहयोग करेगे एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगे, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(चन्द मणि मिश्र)
प्रभारी, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
गोरखपुर।

I.D.No. : UP6250

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.07.17 15:54:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court